

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

फ़सल हानि सूचना फार्म

अधिसूचित पात्र स्थानिक प्राकृतिक आपदों के कारण (बाढ़ का पानी खेत में घुसने से फ़सल की हुई हानि, हिमपात एवं भूस्खलन) होनेवाली फ़सल की हानि और कटाई के बाद हानि (तूफान और असामयिक बारिश के व्यक्तिगत सर्वेक्षण के लिए लागू)
बीमाकृत किसान की जानकारी:-

१. बीमाकृत किसान का संपूर्ण नाम	श्री/श्रीमति
२. पत्र व्यवहार का पता	
३. फोन/ मोबाइल क्रमांक	
४. आधार क्रमांक	
५. ई-मेल आईडी	

बीमा संरक्षित फ़सल की जानकारी

योजना :	प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना	फ़सल ऋतु	वर्ष:
१. यदि बैंक द्वारा बीमा किया गया है : १. कर्जदार ☐ २. गैर कर्जदार ☐ (योग्य विकल्प को ✓ चिह्नित करें)			
(a) बैंक खाता क्रमांक		(b) बैंक नाम एवं शाखा	
(c) बीमा किस्त रकम	₹.	(d) बीमा किस्त जमा करने की तारीख	
यदि सीधे बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया गया है.			
(b) किसान पहचान/ बीमा प्रस्ताव / कवर नोट क्रमांक :			

नुकसानग्रस्त खेत की जानकारी

गाँव	महसूल मंडल	तालुका	जिला

नुकसानग्रस्त फ़सल की जानकारी

अ.क्र.	सर्वे क्रमांक	फ़सल का नाम	कृषिगत भूमिक्षेत्र (हेक्टर)	बीमा संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर)	अनुमानित नुकसानग्रस्त क्षेत्र (हेक्टर)	नुकसान का अनुमानित प्रतिशत
१						
२						
३						

फ़सल नुकसान की विषयवस्तुओं का विवरण (जो लागू है)

नुकसान का कारण	
दिनांक एवं समय	
फ़सल कटाई दिनांक (कटाई के बाद नुकसानी के लिए लागू)	

मैं अपनी नुकसानग्रस्त फ़सल या उसका हिस्सा या उसकी स्थिती सर्वेक्षण के पूर्व नहीं बदलूंगा(गी)। कृपया मेरे खेत का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करें। मैं जमीन के स्वामित्व का सबूत ७/१२, पट्टा/भागधारक करारनामा प्रतिलिपि एवं कवर नोट/ बीमा किस्त रसीद की प्रतिलिपि प्रस्तुत करूंगा(गी)।

दिनांक:-

टिप्पणी: १) केवल योजना के अनुसार पात्र अधिसूचित स्थानिक प्राकृतिक आपदों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करनेवाले नुकसानग्रस्त पात्र किसान को मुआवज़ा देने का दायित्व बीमा कंपनी पर रहेगा।
२) नुकसान के समय से ४८ घंटों के अन्दर किसान द्वारा कंपनी तथा बैंक को सूचित करना बंधनकारक रहेगा।
३) साथ ही साथ, निर्धारित नमूने में उपरोल्लेखित प्रपत्र तत्काल उपलब्ध जानकारी के आधार पर भरकर प्रस्तुत करना और शेष जानकारी (यदि बाकी हो तो) ७ दिन के अन्दर संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना बंधनकारक है।

अभिस्वीकृति रसीद

श्री/श्रीमति गाँव ता. जि.
से दि. / / २० को समय पर प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के अन्तर्गत के कारण हुए
फ़सल के नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करने के बाद पात्रता के अनुसार मुआवज़े का फैसला किया जाएगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं मुहर
बीमा कंपनी / बैंक के लिए